न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 222/2014 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2014/00087**

1. बन्सोबाई बेवा चुनासिंह जाति रायसिंख साकिन 43 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. गुराबाई पुत्री वधावासिंह जाति रायसिंख साकिन 43 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान
2. दिवानसिंह पुत्र वधावासिंह जाति रायसिंख साकिन 43 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट्स
श्री दुष्यन्त ओझा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 18.07.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उप तहसीलदार गजसिंहपुर के निर्णय दिनांक 05.11.2001 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि चक 43 पीएस तहसील रायसिंहनगर में मु.नं. 41 हाल 53 के 25 बीघा भूमि वधावासिंह पुत्र मोहनसिंह के नाम दर्ज थी। वधावासिंह की मृत्यु के पश्चात विरास्तन इंतकाल संख्या 91 ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान के नाम दर्ज किया गया। उक्त विरास्तन इंतकाल संख्या 91 के विरूद्ध अपील उपजिलाधीश राजस्व रायसिंहनगर में प्रस्तुत की गई। उपजिलाधीश राजस्व रायसिंहनगर ने उक्त प्रकरण नायब तहसीलदार गजसिंहपुर को रिमाण्ड कर दिया। नायब तहसीलदार गजसिंहपुर ने वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किए। नायब तहसीलदार गजसिंहपुर के आदेश दिनांक 05.11.2001 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट संख्या 1 के ससुर एवं अपीलांट संख्या 2 के पिता के नाम से रिकार्ड दर्ज थी। वधावासिंह की मृत्यु के पश्चात विरास्तन इंतकाल संख्या 91 ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान के नाम दर्ज किया गया। इंतकाल संख्या 91 के विरूद्ध अपील में उपजिलाधीश राजस्व रायसिंहनगर ने उक्त प्रकरण नायब तहसीलदार गजसिंहपुर को रिमाण्ड कर दिया। उपतहसीलदार को विवादित प्रकरण सुनने का अधिकार ही नहीं था फिर भी उप तहसीहसीलदार ने प्रकरण में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिए। गैर रजिस्टर्ड वसीयत को सही मानकर उस

पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो कि कतई गलत है। वधावासिंह ने अपने जीवनकाल में ना तो किसी प्रकार से कोई भी वसीयत की तथा ना ही किसी प्रकार से उनकी इच्छा वसीयत करने की रही ना ही कानुनन् वसीयत कर सकता था इस प्रकार से तथाकथित वसीयत जो कि अपीलांट्स को कतई स्वीकार नहीं है। उक्त तथाकथित वसीयत अपीलांट्स के पिता द्वारा दिनांक 18.12.1990 करना बताया गया है जो की अपंजीकृत वसीयत हैं। जबकि खातेदारी सनद दिनांक 04.04.2001 को जारी की गई। वादग्रस्त कृषि भूमि वसीयत किये जाने के समय गैर खातेदार भूमि थी। गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी आवंटी की मृत्यु के पश्चात जारी की गई हैं जबकि आवंटी की मृत्यु के बाद विरासतन इंतकाल दर्ज होकर वारिसों के नाम खातेदारी सदन जारी होना चाहिए था। विधिक उत्तराधिकारीयों को सुनवाई का अधिकार हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपतहसीलदार गजसिंहपुर के आदेश दिनांक 05.11.2001 निरस्त किया जाकर अपीलांट्स के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया हैं।

1. आर.आर.डी. 2002 पेज संख्या 418
2. आर.आर.डी. 2015 पेज संख्या 345
3. आर.आर.डी. 2012 पेज संख्या 104

3– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, न्यायिक दृष्टांतों तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त कृषि भूमि की वसीयत किए जाने के समय गैर खातेदार भूमि थी जिसकी वसीयत नही की जा सकती। वादग्रस्त भूमि विरासतन अपीलांट के नाम दर्ज होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.11.2001 उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज विरास्तन इंतकाल संख्या 91 यथावत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार गजसिंहपुर का निर्णय दिनांक 05.11.2001 निरस्त किया जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर